न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 11/2020 दायरा दिनांक 09.12.2020

पीठासीन अधिकारी :— श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. श्रीरिया पुत्र भजना जाति सहरिया निवासी अजरोडा तहसील शाहबाद जिला, बारां
2. गुलाबी पुत्री भजना जाति सहरिया निवासी अजरोडा तहसील शाहबाद जिला, बारां।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. शान्ति पत्नि मन्नी जाति सहरिया निवासी अजरोडा तहसील शाहबाद जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां — राजस्थान

— रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :—

श्री अरविन्द शर्मा, कुमेरसिंह यादव, धीरज गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट।

एक्स पार्टी — रेस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक 24.03.2022

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 174 ग्राम नोनपुरा तहसील शाहबाद दिनांक 20.05.1994 ग्राम नोनपुरा पटवार हल्का अजरोडा

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.05.1994 ग्राम नोनपुरा को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

ग्राम नोनपुरा पटवार हल्का अजरोड़ा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 122/288 रकबा 25 बीघा कृषि भूमि के मृतक खातेदार अपीलान्ट्स के पिता भजना वल्द पतवा जाति सहरिया तथा घासी पुत्र निवाजी थे जिनका उक्त आराजी में समान हिस्सा था, अपीलान्ट्स भजना पुत्र पतवा के पुत्र, पुत्री होकर वारिस है। ग्राम अजरोडा में सहरिया जाति के भजना नाम के 2 व्यक्ति थे जो क्रमशः भजना पुत्र पतवा अपीलान्ट्स के पिता तथा अन्य व्यक्ति भजना पुत्र निवाजी थे। भजना पुत्र निवाजी की भी मृत्यु हो चुकी है। रेस्पोडेण्ट क्रम 1 भजना पुत्र निवाजी की पुत्री है जिसका भजना पुत्र पतवा की विरासत से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपीलान्ट्स के पिता भजना पुत्र पतवा का तस्दीक किया गया फौती अपीलाधीन नामान्तरकरण सर्वथा अवैध रूप से रेस्पोडेण्ट क्रम 1 शान्ति पुत्री भजना पुत्र निवाजी के नाम दर्ज कर दिया जो सर्वथा अवैध व विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:39 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के ज्ञान में नहीं था दिनांक 19.11.2020 को के.सी.सी. के लिए नकले निकवाने पर ज्ञान हुआ। तिथी जानकारी से अपील अवधि मध्य माननीय न्यायालय में पेश है।

अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने पर देरी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी के.सी.सी. की नकल निकलवाने पर दिनांक 03.09.2012 को प्राप्त हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारणों से हम सहमत है। अतः प्रस्तुत अपील में डिले को माफ करते हुए, अवधि मध्य मानी जाकर अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को ही दोहराया।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस व पत्रावली का अवलोकन से पाया कि नामान्तरकरण संख्या 174 दिनांक 20.05.1994 को तस्दीक करते समय ग्राम अजरोडा में सहरिया जाति के भजना नाम के 2 व्यक्ति थे जो क्रमशः भजना पुत्र पतवा अपीलान्ट्स के पिता तथा अन्य व्यक्ति भजना पुत्र निवाजी थे। भजना पुत्र निवाजी की मृत्यु हो चुकी है। रेस्पोडेण्ट क्रम 1 भजना पुत्र निवाजी की पुत्री है जिसका भजना पुत्र पतवा की विरासत से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिसके आधार पर उक्त वर्णित आराजीयात में रकबा 25 बीघा भूमि अपीलान्ट क्रम 1 व 2 के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी, ऐसा ना कर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त वर्णित आराजी प्रश्नगत नामान्तरकरण से अपीलान्ट के साथ रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज कर दी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप स्वीकार की जाती है अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 174 ग्राम अजरोडा निर्णय दिनांक 20.05.1994 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि भजना पुत्र पतवा के विधिक वारिसानों की विस्तृत जांच कर पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नामान्तकरण दर्ज कराकर निर्णित करें।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया ।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:39 IST
Reason: SelfAttested